

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

सूचना

वाहन की निलामी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नया सचिवालय विकास भवन, बेली रोड, पटना के परिसर में पार्किंग में रखे गये उद्योग विभाग के चार वाहन "जहाँ है, जैसी हालत में है" के आधार पर खुले ड्राक द्वारा निलामी उद्योग विभाग के वाहन समिति की देख-रेख में दिनांक 04.12.2018 को 3:00 बजे अपराह्न अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में की जायेगी।

प्रस्तावित निलामी हेतु वाहन का निरीक्षण आवश्यकतानुसार उद्योग विभाग में अवर सचिव, (प्रशाखा-4 सरकार) से संपर्क स्थापित कर कार्यालय अवधि में कार्य दिवस में किया जा सकता है।

वाहन की विवरणी निम्नवत है:-

क्रम सं०	वाहन संख्य	वाहन का प्रकार	वाहन खड़ा/रखा गया है
1	BR 1Q-8603	(एम्बेस्डर)	विकास भवन, पटना परिसर में
2	BR 1Q-6558	(एम्बेस्डर)	विकास भवन, पटना परिसर में
3	BR 1Q-2249	(एम्बेस्डर)	विकास भवन, पटना परिसर में
4	BR 01-AS-3061	(एम्बेस्डर)	विकास भवन, पटना परिसर में

1. निलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को मो० 5000/- (पाँच हजार रुपये) की प्रतिभूति (SECURITY) की राशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के नाम का संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह बैंक ड्रॉफ्ट दिनांक 04.12.2018 तक अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पास जमा करना होगा।
2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से किसी एक की अभिप्रमाणित प्रति देनी होगी।
3. निलामी के समय परिचय पत्र/पहचान पत्र एवं बैंक ड्रॉफ्ट के आधार पर निलामी में भाग लेने दिया जायेगा।
4. वैसे व्यक्ति जो निलामी में असफल रहते हैं, के प्रतिभूति की राशि का ड्रॉफ्ट निलामी के पश्चात वापस कर दी जायेगी। वैसे व्यक्ति जिन्हे निलामी में वाहन दिया जाना होगा उनकी प्रतिभूति की राशि अंतिम निष्पादन तक रोककर रखी जायेगी तथा इसके पश्चात ही वापस किया जायेगा।
5. सरकार द्वारा निलामी की अनुमोदन के पश्चात अधिकतम ड्राक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के अन्दर निलामी की सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्रॉफ्ट जमा कर वाहन ले जाना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि स्वतः जप्त हो जायेगी।
6. सरकार के पास बिना कारण बताये ड्राक को अस्वीकृत अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

16/11/18

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।


19

ज्ञापांक:- 5077

/पटना/दिनांक:- 16.11.18

04/उ० वि० (स०) वाहन-56/18

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

 16/11/18

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।